



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032024-252564
CG-DL-E-02032024-252564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 946]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945

No. 946]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 991(अ).—राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 26) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) और (ठ), धारा 5 की उपधारा 1, धारा 6 की उपधारा (5) और (7), धारा 8 की उपधारा (2) और (7), धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (त), धारा 12 की उपधारा 6, धारा 13 की उपधारा (2), (3) और (4), धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (घ), (ङ), (च), धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 40 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 56 की उपधारा (5) से संबंधित प्रावधानों के प्रवृत्त होने के लिए 29 फरवरी, 2024 को तिथि के रूप में निर्धारित करती है।

[सं. जेड16015/08/2023-एन-पार्ट(1)]

डॉ. विपुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, 29th February, 2024

S.O. 991(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023 (26 of 2023), the Central Government, hereby appoints the 29th February, 2024, as the date on which the provisions related to subsection (g), (h), (i), (j), (k) and (l) of section 4, sub-section 1 of section 5, sub-section (5) & (7) of section 6, sub-section (2) & (7) of section 8, clause (p) of sub-section (2) of section 10, sub-section 6 of section 12, sub-section (2), (3) and (4) of section 13, clause (d), (e), (f) of sub-section (3) of section 23, sub-section (1) of section 39, sub-section(1) and (2) of section 40 and sub-section (5) of section 56 of the said Act shall come into force.

[No. Z.16015/08/2023-N-Part(1)]

Dr. VIPUL AGGARWAL, Jt. Secy.